

2

Arunendra Kumar Triwedi
Parajame Law Teacher
Subject: Evidence
Date: _____

साक्ष्य अधिनियम 1872 का
ये अधिनियम सिविल प्रसूरी इसे सिविल कोर्टों में
लक्ष्यों को देता है। यह सिविल कोर्टों में
लिखे हुए पत्र हैं (अपवाद हैं) नए
हरी दस्तावेज जो कोर्टों के लक्ष्य गीरीक्षण
के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं अपवाद
दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है।

अधिनियम में प्रारंभिक अध्याय के लक्ष्य का
अर्थ उन लिखित दस्तावेजों को देता है।
किसी को सिविल कोर्टों के लक्ष्य साक्ष्य का
कारिफ काल का प्रमाण दिया जाए।
द्वितीय बार की प्रमाणित वक्तव्य को
कोर्टों के लक्ष्य अर्थ दिया जाता है
एक साक्ष्य के अंतर्गत माना जाता है।

प्रमाण साक्ष्य जो कोर्टों के लक्ष्य
दिया जाता है धारा - 51 से धारा 60 का
उल्लेख किया जाता है। उही धारा दस्तावेजी
साक्ष्य 61, 62, 63 में उल्लेख किया जाता है।
कोर्टों साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य
कोर्टों की मान्यता देने को देती है।

प्रमाण या परीक्षा रूप से जो साक्ष्य
कोर्टों के आता है अपने लक्ष्य अपाणीत
होता है। कोर्टों की परीक्षा को अकलौक
की कोर्टों का लक्ष्य साक्ष्य के लक्ष्य के

पेज नं: 3

5/2/20

माना जाता है। कुतः कुतः औलकपित्तवत् कष्ट-
दोगाता है तत्र उपरोक्त उक्त उदाहरण का
प्रतिफल है कि कान पक्का या उपभोग में
लास्यता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं
उक्त उदाहरण को देता हूँ तब उसे गौण साक्ष्य
माना जाएगा और उक्त मान्यता रहेगी।
अधिकतर 25 वें अंतगत प्रमाण की कोई
संकीर्ण होती है तो उसे प्रायः 26 वें अंतगत
अन्तरी मान्यता नहीं होती है। जबकि
किसी प्रमाण के अर्थ में ही होती है।
वही साक्ष्य अधिकतर कठिनाई के लक्षणों को
तो उसे ही माना जाएगा।